1/52534/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर / Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office, Jaipur)

ए 407 , 409 "अरण्य भवन", सीएच-3 सक ल के पास, सेक्टर-10 ए, गांधीनगर-382010/ A-407& A-409, "ARANYA BHAWAN" Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhinagar-382010 Tel No: +9179-23255067 Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

दिनांक: 05th सितंबर, 2023

सेवा में, शासन सचिव (वन) सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर, राजस्थान।

(प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/ROAD/29812/2017) विषयः Diversion of 32.3264 ha forest land in favour of Add. Chief Engineer PPP PWD The Project, NH 12-Laxmipura-Dora-Dabi Ranaji ka Gudha Road starts from T-Junction with NH-12 (Kota Bundi Section) at Moheepura & terminates at 3-legged junction near Ranaji ka Gudha. The project road overlaps with NH-76 for 3.7 km and diverges to left from Dabi town.

सन्दर्भः शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक प.1(67)वन/2021 dated 12.01.2022 एवं सम्संख्यक पत्र दिनांक 22.07.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र

सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये है। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. Proposed CA land of 32.3264 ha is not a non-forest land. Presently the proposed land of CA of 32.3264 Ha of village – Kota Khurd, Tehsil Indargarh District-Bundi is in possession to National Chambal Sanctuary, Sawaimadhopur. This land was allotted to Forest Department by District Collector, Bundi vide order no. F8(S) /94/1927-35 dated 15.06.1999. This land is already notified as forest and already in control of forest department which cannot be considered CA land in this proposal.

2. Accordingly, you State Govt. is requested to provide suitable non-forest land

for CA so the proposal can be processed further.

अवण कुमार वर्मा) उप महानिरीक्षक /क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्युशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।

2. उप वन संरक्षक, बुंदी वनमण्डल, बुंदी, राजस्थान।

3. परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.), लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान।

4. आदेश पत्रावली।